गोपनीयता का अधिकारः हम, निजी लोग

साभार : इंडियन एक्सप्रेस | 25 अगस्त, 2017

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

गोपनीयता के फैसले के ऐतिहासिक अधिकार के साथ, सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों और राज्य के लिए दृढ़ सीमाओं का विस्तार करता है। साथ ही यह स्वयं को सही करने के लिए भी सराहनीय क्षमता का निर्माण करता है।

गुरुवार को यानि कल, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ सशक्त होने की शक्ति मिल गयी। सुप्रीम कोर्ट के फैसला की ''गोपनीयता का अधिकार, जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है और इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में किया भी गया है'' जिसे तत्काल संदर्भ अर्थात आधार मामले में भी देखा जायेगा। लेकिन नौ न्यायाधीशों की बेंच का सर्वसम्मत फैसला उससे कहीं अधिक दूर है।

''गोपनीयता प्रत्येक व्यक्ति को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाता है जो मानव व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति में पाए जाते हैं। यह व्यक्तियों को एकरूपता की सामाजिक मांगों के खिलाफ अपने विश्वासों, विचारों, अभिव्यक्ति, विचारधाराओं, वरीयताओं और विकल्पों को संरक्षित करने में सक्षम बनाता है। अदालत ने कहा की गोपनीयता अलग होने के लिए व्यक्ति के अधिकार की विविधता की एक आंतरिक मान्यता है। ऐसे समय में जब व्यक्ति को बताया जाता है कि खाने के लिए क्या करना है, किससे प्यार और शादी करना है या किसका सम्मान करना है, नागरिक की स्वायत्तता के इस विवाद ने समाज और राज्य दोनों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है।

नौ जजों की बेंच जरूरी है, क्योंकि पिछले 40 सालों में कई फैसलों ने यह माना है कि अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ गोपनीयता एक सामान्य कानून है और इसलिए इन फैसलों ने नागरिकों को राज्य के सामने स्पष्ट रूप से सशक्त नहीं बनाया है। 2015 में आधार योजना पर मुकदमेबाजी के दौरान, अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया था कि ''गोपनीयता के मौलिक अधिकार के अस्तित्व के बारे में कानूनी स्थिति संदिग्ध है।'' सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले, अर्थात एम.पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र, 1954 और खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य, 1962, अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया था कि संविधान गोपनीयता के अधिकार की गारंटी नहीं देता है। गुरुवार का फैसला भी संविधान के ऐसे संकीर्ण और व्याख्याओं से ही प्रेरित है।

''इसके परिचारक मूल्यों के साथ गोपनीयता व्यक्ति को गरिमा का आश्वासन देता है और यह तब ही संभव है जब जीवन को गरिमा के साथ आनंद लिया जाए, तब जाकर स्वतंत्रता वास्तविकता का रूप प्राप्त कर सकता है। गोपनीयता गरिमा की पूर्ति को सुनिश्चित करता है और यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मूल्य है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा को प्राप्त करने में मदद करता है। इसके अलावा यह कहता है कि ''व्यक्ति की गरिमा, मनुष्य के बीच समानता और स्वतंत्रता की तलाश, भारतीय संविधान के आधारभूत स्तंभ हैं।''

एक तरह से मौलिक अधिकारों को परिभाषित करना जो उनके दायरे का विस्तार करते हैं, सबसे परिपक्व लोकतंत्रों में भी एक विकासवादी प्रक्रिया रही है। उदाहरण के तौर पर, अमेरिका, चौथे संशोधन में अपने अधिकार की गोपनीयता, जो संपत्ति के अधिकारों के बारे में मौलिक से सम्बंधित है, देश के संविधान में अन्य गारंटियों के तहत सही स्थिति को हल करने से सम्बंधित थे। वर्ष 1970 के दशक के बाद, इसकी उच्चतम अदालत ने ''आदेशित लिबर्टी की संकल्पना'' से गोपनीयता का अधिकार निकाल लिया, जो संघ की स्वतंत्रता का अधिकार और आत्म-संलिप्तता के खिलाफ अधिकार है।

गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी भावना से संदर्भित था कि और कोर्ट ने कहा कि ''अदालत का प्रयास न्यायिक निर्माण की प्रक्रिया के जरिए उनके अर्थ और विचार को कम करने के बजाय मौलिक अधिकारों की पहुंच और दायरे का विस्तार करने से सम्बंधित होना चाहिए''। यह अभिव्यक्ति मौलिक अधिकारों से जुड़कर भविष्य के न्यायशास्त्र पर असर डालेगा।

भविष्य के निर्णायक मंडलों के लिए एक और महत्वपूर्ण सबक यह है कि लोकतांत्रिक समाजों को उनकी न्यायपालिका को स्वयं-सही करने की आवश्यकता है। गुरुवार का फैसला संवैधानिक औचित्य के परीक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ अतीत के फैसलों को पेश करता है जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। उदाहरण के लिए, 1976 में एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामला, जहाँ अदालत ने फैसला सुनाया था कि राष्ट्रपति की सहमति निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को रद्द करने के लिए पर्याप्त है। यह 41 साल पुराना फैसला को गुरुवार को अदालत ने गंभीरता से आलोचना की थी और कहा था कि यह ''गंभीर रूप से दोषपूर्ण है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानव अस्तित्व के लिए अतुलनीय और ये अधिकार एक मौलिक अधिकार हैं। जो प्राकृतिक कानून के तहत अधिकारों का गठन करते हैं।''

आत्मनिर्णय की भावना और मानव गरिमा के प्रति वचनबद्धता अभी भी वर्ष 2013 के फैसले को अलग रखने के अदालत के फैसले के पीछे हैं, जो धारा 377 को पुनर्जीवित करता है। वर्ष 2009 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने समलैंगिकता के अपराधीकरण को रद्द कर दिया था। अपने पहले फैसले की आलोचना करते हुए, अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को सही साबित कर दिया है जिसमें धारा 377 के तहत एक व्यक्ति की गरिमा का खंडन किया गया था। अब, अदालत की टिप्पणी को लंबे समय से प्रतीक्षित पाठ्यक्रम सुधार के रूप में देखा जाएगा अर्थात ''कानून के शासन पर एक लोकतांत्रिक संविधान में, उनके [अल्पसंख्यक] अधिकार पवित्र हैं जैसे अन्य नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा के लिए प्रदान किया गया है। यौन अभिविन्यास गोपनीयता की एक अनिवार्य विशेषता है। यौन अभिविन्यास के आधार पर किसी व्यक्ति के प्रति भेदभाव व्यक्ति की गरिमा और आत्म-मूल्य पर किये गये गंभीर प्रहार से कम नहीं है।''

न्यायालय गोपनीयता के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन सरकारे उसी चेतावनी पर ध्यान देती है जिसे वे खुद लागू करती है कि ''कानून की प्रकृति और विचार जो प्रतिबंध को लागू करती है, अनुच्छेद 14 द्वारा अनिवार्य तर्कसंगत क्षेत्र के भीतर समाहित है, जो राज्य के मनमाने कार्रवाई के खिलाफ शक्ति प्रदान करती है।'' जब लोकतांत्रिक नागरिकों के पास इसका आश्वासन होता है कि कानून का शासन राज्य द्वारा किसी भी परिस्थिति में अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, तो लोकतंत्र अस्तित्व में रह सकता है और सभी के लिए न्यायिक उपाय उपलब्ध हो सकेगा। इसलिए गुरुवार को आया फैसला मील का पत्थर साबित हुगा है।

इससे संबंधित तथ्य

- एक बेहद अहम फैसले के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकारों, यानी फन्डामेंटल राइट्स का हिस्सा करार दिया है।
- नौ जजों की संविधान पीठ ने 1954 और 1962 में दिए गए फैसलों को पलटते हुए कहा कि राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार का ही हिस्सा है।
- राइट टू प्राइवेसी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आती है।
- अब लोगों की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी।
- हालांकि आधार को योजनाओं से जोड़ने पर सुनवाई आधार बेंच करेगी। इसमें 5 जज होंगे।

प्रशांत भूषण का बयान

- इस मामले में याचिकाकर्ता और मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से बाहर आकर बताया कि कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है और कहा है कि ये अनुच्छेद 21 के तहत आता है।
- आधार कार्ड को लेकर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं लिया है।
- आधार कार्ड के संबंध में मामला 5 जजों की आधार बेंच के पास भेजा है।
- भूषण ने बताया कि अगर सरकार रेलवे, एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए भी जानकारी मांगती है तो ऐसी स्थिति में नागरिक की निजता का अधिकार माना जाएगा।

फैसले में क्या कहा

- संविधान पीठ के 9 जजों में से 4 CJI खेहर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस आरके अग्रवाल और जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने फैसले में कहा है निजता कोई अभिजात्य कांसेप्ट नहीं है, जो सिर्फ अमीर के लिए हो।
- निजता का अधिकार समाज के सभी वर्गों की आकांक्षा है।
- सिविल या राजनीतिक अधिकारों को सामाजिक आर्थिक अधिकारों के अधीन नहीं रखा जा सकता।
  - ➪ भारत के लोकतंत्र को ताकत स्वाधीनता और स्वतंत्रता से मिलती है।
  - ➪ हर सामान्य नागरिक को निजता का अधिकार है, भले ही वह अमीर हो या गरीब।
  - ➪ शादी करने, बच्चे पैदा करने और परिवार रखने के मामले निजता से जुड़े हैं।
  - ➪ महिला और पुरुष को खुशी निजता से ही मिलती है।
  - ➪ ये खुशी अमीर या गरीब सभी के लिए बराबर है।
  - ➪ देश में निजता को संविधान से संरक्षण प्राप्त है।
  - ➪ सरकार को डेटा प्रोटेक्शन को लेकर ऐसा कानून लाना चाहिए, जो सामान्य नागरिक के हितों और सरकार के हितों के बीच बैलेंस बना सके।

377 पर बड़ी बेंच कर रही है सुनवाई

- समलैंगिगता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही माना है कि निजता एक मौलिक अधिकार है - ये ठीक है, लेकिन निजता के दायरे में अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल ओरियंटेशन के लिए समलैंगिक संबंध LGBT बनाते हैं तो सरकार आपको सजा दे सकती है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।
- अगर LGBT के लिए कानूनी कार्रवाई होती है तो इसका डरावना प्रभाव होगा।
- वैसे LGBT को लेकर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई कर रही है इसलिए इस मुद्दे को हम उसी पर छोड़ते हैं।

क्या थी कोर्ट की दलील

- सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जजों ने कहा था कि अगर मैं अपनी पत्नी के साथ बेडरूम में हूं तो यह 'प्राइवेसी' का हिस्सा है।
- ऐसे में पुलिस मेरे बैडरूम में नहीं घुस सकती।
- हालांकि अगर मैं बच्चों को स्कूल भेजता हूं तो ये 'प्राइवेसी' के तहत नहीं आता है, क्योंकि यह 'राइट टू एजूकेशन' का मामला है।
- कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आप बैंक को अपनी जानकारी देते हैं।
- मेडिकल इंशोयरेंस और लोन के लिए अपना डाटा देते हैं।
- यह सब कानून द्वारा संचालित होता है। यहां बात अधिकार की नहीं है।
- आज डिजिटल जमाने में डाटा प्रोटेक्शन बड़ा मुद्दा है।
- सरकार को डाटा प्रोटेक्शन के लिए कानून लाने का अधिकार है।
- सरकार द्वारा गोपनीयता भंग करना एक बात है, लेकिन उदाहरण के तौर पर टैक्सी एग्रीगेटर द्वारा आपका दिया डाटा आपके ही खिलाफ इस्तेमाल कर ले प्राइसिंग आदि में वो उतना ही खतरनाक है।

संभावित प्रश्न

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि व्यक्ति की निजता संविधान के तहत संरक्षित मौलिक अधिकार है, जिसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आधार मामले में कहाँ तक निजता के अधिकार को संरक्षित कर पायेगा? चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322